कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2651 नारायणपुर,दिनांक..01.../07/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय :— मेसर्स श्री बजरंग पावर इस्पात लिमिटेड द्वारा छोटेडोंगर (छोंटेडोंगर आयरन ओर माईन) जिला नारायणपुर में प्रस्तावित (लीज एरिया 57.00 हे. पहुँच मार्ग 9.02 हे.) कुल रकबा 66.02 हे. खनिपट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत् ।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक /मा0चि0 /न.क्र.150/2020/3105 दिनांक 27.05.2020 ।

——00——

विषयांतर्गत निवेदन है, कि संदर्भित पत्र के द्वारा आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा ग्राम छोटेडोंगर के वन क्षेत्र में प्रस्तावित (लीज एरिया 57.00 हे. पहुँच मार्ग 9.02 हे.) कुल रकबा 66.02 हे. खनिपट्टा स्वीकृति हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् 1 से 44 बिन्दुओं में पूर्व मे प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्न कमियॉ प्रस्तुत की गई थी जिसका निराकरण कर जानकारी निम्नानुसार है:—

क्र.	कमियॉ	उत्तर
1	फॉर्म —ए के पार्ट —II के अ.क्र.2 मे प्रस्तावित क्षेत्र का वैधानिक स्थिति में कुल क्षेत्र 66.02 हे.को आरक्षित वन बताया गया है, जबकि चेकलिस्ट के कंडिका क्रमांक —3 के अनुसार 02 नारंगी वन कक्ष में प्रस्तावित है जिसका रकबा 4.150 हे. है ।	फॉर्म —ए के पार्ट —II के अ.क्र.—2 मे प्रस्तावित क्षेत्र का वैधानिक स्थिति में सुधार कर प्रस्तुत किया जा रहा है ।
2	फार्म —ए के पार्ट —II के अ. क्र. 4 में प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.6 उल्लेखित है, जबकि चेकलिस्ट के कडिंका क्रमांक —7के बिन्दु क्रमांक—4 के उप बिन्दु (III) के अनुसार घनत्व 0.5 से 0.7 उल्लेखित किया गया है ।	फार्म —ए के पार्ट —II के अ. क्र. 4 में प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.5 से 0.6 कर प्रस्तुत किया जा रहा है ।
3	चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक —12 में वृक्ष विदोहन से संबंधित नवीनतम प्रपत्र में जानकारी नही दी गई है ।	चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक —12 में वृक्ष विदोहन से संबंधित नवीनतम प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत किया जा रहा है ।

4	चेकलिस्ट के कंडिका क्रमांक—16 के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है, जिसमें भूमि का प्रकार राजस्व भूमि उल्लेकित है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित निजी भूमि के खसरा क्रमांक को कक्ष क्रमांक बताया गया है। प्राकलन में उपचार मानचित्र संलग्न नही है।	चेकलिस्ट के कंडिका क्रमांक—16 के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है, जिसमें भूमि का प्रकार राजस्व भूमि (निजी भूमि) है एवं त्रुटिवंश खसरा क्रमांक को कक्ष लिखा गया है जिसे सुधार किया गया है व उपचारित मानचित्र सलग्न कर दिया गया है।
5	चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक—26 वनाधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन में भाग – I एवं भाग – IV सलग्न नही है। वनमण्डलाधिकारी का भाग II के बिन्दु —7 के उप बिन्दु(VII) में प्रजातिवार वृक्षों की परिगणना संलग्न बताई गई है, किन्तु पृष्ठ संख्या का उल्लेख नही किया गया है तथा बिन्दु —7 के उप बिन्दु (xi)मे वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ / संकटापन के कॉलम में नही किया गया है । बिन्दु —10 के उप बिन्दु (ii)के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चयनित की गई की गई क्षेत्र का मैप को संलग्न बताया गया है किन्तु पृष्ठ क्रमांक उल्लेखित नही किया गया है और ना ही प्राक्कलन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई मैप संलग्न है।	चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक—26 की कमियों की पूर्ति की गई है।
6	चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक —34 के अनुसार वन अधिकार मान्यता वितरण से संबंधित कलेक्टर द्वारा जारी किये जाने वाले प्रदर्श – स ही सलग्न है, जबकि साथ में Annexure-I, Annexure -II सलग्न किया जाना आवश्यक है, जिसे कलेक्टर की आई डी से भारत सरकार पर्यावरण वन के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है,जो अपलोड नही है।	चेकलिस्ट के कण्डिका क्रमांक —34 के अनुसार वन अधिकार मान्यता वितरण से संबंधित कलेक्टर द्वारा जारी किये जाने वाले, Annexure -II सलग्न किया गया है।

7	चेकलिस्ट के कडिण्का क्रमांक –37 के अनुसार कैम्पा पत्र संलग्न नही है। साथ ही वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि की ईको–क्लास के अनुसार गणना पत्रक संलग्न नही हैं।	चेकलिस्ट के कडिण्का क्रमांक –37 के अनुसार आवेदक संस्थान मेसर्स श्री बजरंग पावर लिमिटेड द्वारा वचन पत्र सलग्न किया गया है।
8	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्रथम स्वीकृति लेने बाबत् प्रस्ताव के साथ वांछित जानकारी दस्तावेजों का विवरण (चेकलिस्ट) को टीप के साथ पूर्ति नही की गई है।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्रथम स्वीकृति लेने बाबत् प्रस्ताव के साथ वांछित जानकारी दस्तावेजों का विवरण (चेकलिस्ट) में प्रस्तुत की जा रही है।

अतः उक्त कमियों की पूर्ति कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

वनमण्डलाधिकारी
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर